सेन्ट-कोविद-19 - सहायता

1. वर्तमान में पूरी दुनिया कोविद-19 संकट से घिरी हुई है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया है. कोविद -19 के प्रकोप के कारण, यद्यपि मानव सबसे अधिक पीड़ित हैं लेकिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और नकदी प्रवाह में भारी गिरावट आई है. हमारे ग्राहक जिन्हें हमने अपना व्यवसाय चलाने के लिए कार्यशील पूंजी / सावधि ऋण इत्यादि का वित्त पोषण किया है, वे अलग-थलग नहीं हैं और वे तरलता की कमी का सामना कर रहे हैं.
2. तरलता बेमेल में सहयोग करने के लिए, शीर्ष प्रबंधतंत्र ने फंड बेस वर्किंग कैपिटल सीमा की सुविधा लेने वाले हमारे मौजूदा उधारकर्ताओं को मौजूदा संकट से निपटने के लिए एक नए उत्पाद को स्वीकृति दी है.
3. इस उत्पाद का विवरण निम्नानुसार है:

क्रमांक	पैरामीटर	विवरण
1	सुविधा का नाम	सेन्ट -कोविद 19 – सहायता
2	सुविधा प्रकार	सावधि ऋण
3	कुल अवधि	24 महीने
4	योजना की वैधता	यह योजना 30.06.2020 तक लागू रहेगी
5	पात्रता	सभी उधार खाते जोकि निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमा का लाभ उठा रहे हैं और जिनको स्टेण्डर्ड या एसएमए 0 के रूप में वर्गीकृत किया गया है. अन्य शब्दों में, आवेदन की तारीख को, साथ ही वितरण की तारीख को, खाते को हमारे बैंक में या किसी अन्य बैंक में, एसएमए 1, एसएमए 2 या एनपीए के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए.
6	ऋण राशि	ए. सीमा : मौजूदा निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमा (एफबीडब्लूसी) के 10% तक. अधिकतम राशि : रु. 50 करोड़. बी. मौजूदा ग्राहक जो भारिबैं की एमएसएमई के लिए विशेष वितरण योजना के तहत रियायतें प्राप्त कर चुके हैं, वे भी इस सुविधा के लिए पात्र हैं. हालाँकि ऐसे मामलों में वर्तमान सुविधा सहित कुल अतिरिक्त एक्सपोज़र एफबीडब्लूसी एक्सपोज़र के 25% से अधिक नहीं होना चाहिए. सी. इस सुविधा को उधारकर्ता पर एक एक्सपोजर माना जाएगा और बड़े जोखिम ढांचे और बाजार तंत्र के तहत निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा. डी. यह सुविधा आवश्यकता आधारित तथा उधारकर्ता के विशेष अनुरोध पर दी जानी चाहिए.
7	वितरण	उधारकर्ता स्वीकृत राशि का लाभ एक ही बार या किस्तों में उठा सकता है. स्वीकृत सीमा के कम से कम 75% का वितरण सीधे कच्चा माल (इनपुट) के आपूर्तिकर्ताओं/विक्रेताओं को किया जाना है. लंबित वेतन, मजदूरी और अन्य वैधानिक देय राशि के भुगतान के लिए अधिकतम 25% सीमा तक की राशि का वितरण किया जा सकता है. ऐसे मामलों में जहां स्टाम्प शुल्क आदि की अनुपलब्धता के कारण प्रलेखीकरण में देरी होती है तो एक महीने के वेतन और मजदूरी के लिए अधिकतम 25% सीमा तक की राशि, सेंट कोविद -19 के तहत उधारकर्ता से स्वीकृत सीमा के लिए मांग वचन पत्र (डीपीएन) प्राप्त करने के बाद कैश फ्लो बेमेल को पूरा करने हेतु दी जा सकती है. उधारकर्ता द्वारा प्रस्तुत किए गए वेतन और मजदूरी व्यय की मात्रा को चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म से प्रमाण पत्र द्वारा समर्थित किया जाना आवश्यक है. .
8	चुकौती	ऋण के संवितरण की तारीख से 06 महीने की अधिस्थगन अवधि के बाद 18 समान मासिक किश्तों (ईएमआई) में चुकौती. अधिस्थगन अवधि के दौरान ब्याज नियत समय पर जैसे ही देय होगा, प्रभारित होगा.

9	मार्जिन	निरंक हालांकि, ऋण के वितरण के बाद चालू माह के अंत तक प्रस्तावित सीमा को स्टॉक स्टेटमेंट के अनुसार स्टॉक और रिसीवेबल्स के बाजार मूल्य से कवर होना चाहिए.
10	ब्याज दर	अधिकतम एक वर्ष की एमसीएलआर के अनुसार उधारकर्ता की निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमा (एफबीडब्लूसी) के लिए लागू ब्याज दर.
11	प्रतिभूति	प्राथमिक प्रतिभूति / संपार्श्विक प्रतिभूति पर प्रभार का विस्तार.
12	गारंटी	मौजूदा गारंटी, यदि कोई हो, को भी प्रस्तावित सुविधा तक बढ़ाया जाए.
13	क्रेडिट रेटिंग	मौजूदा आंतरिक रेटिंग सीबीआई VI या उससे बेहतर होनी चाहिए.
14	दस्तावेज़ीकरण / रजिस्ट्रार आफ कम्पनी शुल्क	मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सावधि ऋण के लिए लागू दस्तावेज निष्पादित किए जाने हैं. हालांकि, जैसा कि बिंदु संख्या 7 में दिया गया है, सीमा के लिए विशिष्ट मांग वचन पत्र (डीपीएन) के निष्पादन के बाद, एक महीने के वेतन और मजदूरी तक की राशि, स्वीकृत सीमा के अधिकतम 25% के अधीन नकद प्रवाह बेमेल को पूरा करने के लिए वितरित की जा सकती है . सरसई में प्रतिभूति के पंजीकरण को प्रतिभूति दस्तावेजों के निष्पादन की तारीख से एक सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना है. रजिस्ट्रार आफ कम्पनी के साथ पंजीकरण, यदि लागू हो, को प्रतिभूति दस्तावेजों के निष्पादन की तारीख से 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर पूरा किया जाना है. कंसोर्टियम तथा एमबीए के अधीन खातों के मामले में, प्रतिभूति निर्माण / परिपूर्णता और आवश्यक दस्तावेजों के निष्पादन के लिए अधिकतम 3 महीने का समय अनुमत है.
15	प्रक्रिया शुल्क	निरंक
16	पूर्व- भुगतान दंड	निरंक
17	अन्य	I. एमपीबीएफ से अतिरिक्त की सीमा की गणना हमारी नीति के अनुसार की जायेगी. II. इस सुविधा की स्वीकृति से पूर्व उधारकर्ता के द्वारा मौजूदा सीमाओं की प्रतिभूति की परिपूर्णता सहित सभी नियमों और शर्तों का अनुपालन किया जाना है. III. उधारकर्ता के विशिष्ट अनुरोध कि कोविद-19 से उसके व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, पर यह सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी. IV. कंसोर्टियम खातों के मामले में, यदि सभी सदस्य बैंकों की आपसी सहमति के आधार पर सीमा की स्वीकृति दी जाती है, तो सुविधा के नियम और शर्तें या तो हमारी योजना के अनुरूप होनी चाहिए, या हमारी योजना से बेहतर होनी चाहिए. V. कंसोर्टियम के तहत खातों के मामले में, चार्ज को समाप्त करने के लिए 3 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर लीड बैंक से एनओसी प्राप्त करनी होगी. VI. इस सुविधा का उपयोग उधारकर्ता के हमारे बैंक या किसी अन्य बैंक के अतिदेय के भुगतान या किसी अन्य सट्टा प्रयोजनों के लिए नहीं किया जाना चाहिए. इस आशय का एक वचनपत्र उधारकर्ता से प्राप्त करना होगा. VII. स्वीकृति पश्चात निरीक्षण के माध्यम से ऋण के उद्दिष्ट को भी सुनिश्चित किया जाए.

4. अधिक जानकारी के लिए ग्राहक हमारी शाखाओं से संपर्क कर सकते हैं.